भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 59
दिनांक 06 फरवरी, 2025

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी

***59. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत लाभार्थियों को राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;
(ख) उक्त योजना के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार तथा दादरा और नगर हवेली का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश भर में पीएमयूवाई के तहत अगले दो वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या एलपीजी कनेक्शन के कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में पीएमयूवाई के लिए बजटीय आवंटन कितना है; और
(च) उक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी " के संबंध में संसद सदस्य श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर और श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 59 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च): पूरे देश में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमानत-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के प्रयोजन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का आरम्भ मई, 2016 में किया गया। पीएमयूवाई के अन्तर्गत 8 करोड़ कनेक्शन निर्गत करने का लक्ष्य सितम्बर, 2019 में प्राप्त कर किया गया। शेष गरीब परिवारों को आच्छादित करने के निमित्त उज्ज्वला 2.0 को अगस्त, 2021 में आरम्भ किया गया, जिसमें 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिसका लक्ष्य जनवरी, 2022 में प्राप्त कर किया गया। तत्पश्चात्, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के अन्तर्गत 60 लाख एलपीजी कनेक्शन और जारी करने का निर्णय लिया तथा दिसम्बर, 2022 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के अन्तर्गत 1.60 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि में पीएमयूवाई योजना के अन्तर्गत 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन निर्गत करने को संस्वीकृति दी और यह जुलाई, 2024 के दौरान पहले ही प्राप्त कर लिया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में एलपीजी आच्छादन अप्रैल, 2016 में 62% से बढ़कर अब संतृप्ति के निकट पहुँच गया है। पीएमयूवाई के अन्तर्गत नए कनेक्शन के लिए किसी लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है।

पीएमयूवाई के शुभारम्भ से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक, सरकार सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा नली, डीजीसीसी बुकलेट और प्रतिष्ठापन शुल्क के निमित्त प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन पर 1600 रुपए तक का खर्च वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से, यह सहायता 14.2 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन/5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 2,200 रुपए प्रति कनेक्शन एवं 5 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1,300 रुपए प्रति कनेक्शन तक बढ़ा दी गई है। दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 10.33 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थी हैं। पीएमयूवाई के अन्तर्गत जारी निर्गत एलपीजी कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-क** में है। पिछले तीन वित्त वर्ष और चालू वित्त वर्ष (दिसंबर 2024 तक) में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य एवं दादरा और नागर हवेली और छत्रपति संभाजीनगर जिले में निर्गत पीएमयूवाई कनेक्शनों का विवरण **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक वहनीय बनाने तथा उनके द्वारा एलपीजी का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित करने के निमित्त, सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए यथा-आनुपातिक) 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता आरम्भ की। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए यथाआनुपातिक) 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता बढ़ा दी। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के पश्चात्, भारत सरकार 503 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

पीएमयूवाई के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिलावार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। बजट आवंटन का विवरण - पिछले तीन वर्षों के लिए पीएमयूवाई के अन्तर्गत संशोधित अनुमान (आरई) निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)*	1618	8010	8500

स्रोत- पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

*- इसमें मई, 2022 से प्रभावी पीएमयूवाई परिवारों के लिए निर्धारित राजसहायता सम्बन्धी व्यय शामिल है।

उपर्युक्त के अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान, निर्धन-जन-समर्थन के पहल के रूप में, सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 (तीन) निःशुल्क एलपीजी रिफिल प्रदान करने की एक योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2020 को ओएमसीज ने एलपीजी रिफिल खरीदने के निमित्त पीएमयूवाई लाभार्थियों के बैंक खातों में 9670.41 करोड़ रुपए अंतरित किए और पीएमयूवाई लाभार्थियों ने इस योजना के अन्तर्गत 14.17 करोड़ रिफिल का लाभ उठाया।

दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार, 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शनों में से 3.13 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं।

***

अनुलग्नक- क

"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी" के संबंध में श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर और ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 59 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई योजना के तहत जारी कनेक्शनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

राज्य	पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13,824
आंध्र प्रदेश	9,73,377
अरुणाचल प्रदेश	53,797
असम	50,97,770
बिहार	1,16,30,069
चंडीगढ़	2,027
छत्तीसगढ	38,01,853
दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	17,797
दिल्ली	2,59,716
गोवा	1,955
गुजरात	43,08,874
हरियाणा	11,15,266
हिमाचल प्रदेश	1,50,787
जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश	12,69,853
झारखंड	38,95,672
कर्नाटक	41,47,264
केरल	3,87,838
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख	11,086
लक्षद्वीप	361
मध्य प्रदेश	88,47,268
महाराष्ट्र	52,18,129
मणिपुर	2,24,928
मेघालय	3,17,157
मिजोरम	36,006
नगालैंड	1,22,150
ओडिशा	55,50,071
पुदुच्चेरी	19,381
पंजाब	13,59,509
राजस्थान	73,81,916
सिक्किम	19,887
तमिलनाडु	41,00,333
तेलंगाना	11,84,145
त्रिपुरा	3,16,443
उत्तर प्रदेश	1,85,95,002
उत्तराखंड	5,30,222
पश्चिम बंगाल	1,23,75,962

स्रोत: उद्योग आधार पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

*****

अनुलग्नक- ख

"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी" के संबंध में श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर और श्री ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 59 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

राज्य/जिला	**कनेक्शनों की संख्या**
मध्य प्रदेश	17,07,763
महाराष्ट्र	8,07,187
दादरा और नगर हवेली जिला	2,438
छत्रपति संभाजीनगर जिला (औरंगाबाद)	26,238

स्रोत: उद्योग आधार पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

***